(12)

संख्या–ई–8– 282/दस–2011–89/ 2004,

प्रेषक,

बी0 एस0 भुल्लर ,
प्रमुख सचिव–II
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा मे ,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।
2– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8 लखनऊ दिनॉक 20 मई, 2011

विषय :– शासकीय निर्माण कार्यों कें सम्पादन कें सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासकीय निर्माण कार्यो कें सम्पादन कें सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी शासनादेश संख्या–ई–8–304/दस–2006–89/ 2004, दिनांक 02 मार्च, 2006 निर्गत किया गया है जिसमें यह उल्लेख है कि रू0 2.50 करोड़ से अधिक की लागत के गैर मानकीकृत तथा रू0 10.00 करोड़ से अधिक लागत के मानकीकृत भवनों का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (जल निगम) तथा उ0प्र आवास एवं विकास परिषद द्वारा ही किया जायेगा। रू0 2.50 करोड़ की लागत के गैर मानकीकृत तथा रू0 10.00 करोड़ से अधिक लागत के मानकीकृत भवनों के निर्माण कार्य करने हेतु यदि कोई अन्य राजकीय निर्माण एजेन्सी उक्त निर्माण एजेन्सियों की श्रेणी में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त करती है तो सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी के प्रशासनिक विभाग द्वारा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव का सुसंगत मानकों के सन्दर्भ में परीक्षण करते हुए सार्वजनिक उद्यम विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा वित्त विभाग का क्लीयरेन्स प्राप्त करने के बाद उसे व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा तथा व्यय वित्त समिति के अनुमोदनोपरान्त प्रस्ताव पर मा0 विभागीय मंत्री जी तथा मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करके वित्त विभाग की सहमति से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 02 मार्च, 2006 द्वारा शासकीय निर्माण एजेन्सी के चयन हेतु एक तकनीकी समिति का भी गठन किया गया है, जो चयनित की जाने वाली एजेन्सी की जनशक्ति (स्टाफ) तकनीकी क्षमता (टेक्नीकल स्किल) टर्न ओवर, मशीने तथा उपकरण, कार्य करने का अनुभव आदि के सम्बन्ध में मानक निर्धारित करेगी, जिस पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

——— पेज–2

3– राजकीय निर्माण एजेन्सी की क्षमता में वृद्धि किये जाने/उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तावित/निर्धारित मानकों पर व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 08.04.2011 के कार्यवृत्त दिनांक 15.04.2011 (विवरण संलग्न) के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया है।

4– अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहनें का निदेश हुआ है कि कृपया राजकीय निर्माण एजेन्सी की क्षमता में वृद्धि /उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित मानको के अनुसार अपने अधीनस्थ संस्थाओ के प्रस्तावों का परीक्षण कर उपयुक्त पाए जाने पर ही प्रस्ताव वित्त विभाग मे उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

संलग्नकः यथोपरि।

बी0एस0 भुल्लर
प्रमुख सचिव, वित्त–II

संख्या–ई–8– 282(1)/दस–2011–89/ 2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
3. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0।
4. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ0प्र0।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सेतु निगम, लि0।
7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0।
9. निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) लखनऊ।
12. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग।

आज्ञा से,

(वी0के0एल0श्रीवास्तव)
विशेष सचिव, वित्त।

——पेज–3

शासनादेश संख्या–ई–8– 282/दस–2011–89/ 2004, दिनांक 20.05.2011 का संलग्नक

राजकीय निर्माण एजेन्सी की क्षमता में वृद्धि/उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित मानक :–

क्र0सं0	कार्य मद	तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित मानक
1	निर्माण कार्यों का टर्न ओवर	वार्षिक टर्न ओवर रू0 100.00 करोड़ से अधिक होना चाहिए।
2	अनुभव–	विगत 5 वर्षो में विभिन्न विभागों के रू0 2.50 करोड़ से अधिक लागत के कम से कम 10 कार्यो का सम्पादन विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण किया जाना होगा।गुणवत्ता के सम्बन्ध में अधोमानकता की प्रमाणित स्थिति परिलक्षित होने पर चयनित संस्थाओं को अधोक्रमित (डाउनग्रेड) भी किया जा सकता है।
3	तकनीकी स्टाफ	
1–	मुख्य अभियन्ता या उसके समकक्ष अधिकारी	01
2	अधीक्षण अभियन्ता या उसके समकक्ष अधिकारी	– 02
3	अधिशासी अभियन्ता (सिविल) या उसके समकक्ष अधिकारी	– 17
4	अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0) या उसके समकक्ष अधिकारी	– 01
5	परियोजना अभियन्ता	–
6	सहायक अभियन्ता (सिविल) या उसके समकक्ष अधिकारी	– 51
7	सहायक अभियन्ता (वि0/या0) या उसके समकक्ष अधिकारी	– 04
8	अवर अभियन्ता (सिविल)	– 150
9	अवर अभियन्ता (वि0/यां0)	– 08
	3.2 वास्तुविद संवर्ग–	
1	ज्येष्ठ वास्तुविद	01
2	वास्तुविद	02
3	सहायक वास्तुविद	06

---4

4	वास्तुविद मानचित्रकार	02
5	गैर तकनीकी स्टॉफ	—
4	**मशीनरी**	
	1—मिक्सर	60
	2—वाईब्रेटर	120
	अन्य उपकरण	खरीदने अथवा किराये पर लेने की सम्बन्धित संस्था की क्षमता भी होनी चाहिए।
5	प्रयोगशाला—	मैटैरियल तथा कंक्रीट स्ट्रेन्थ आदि की टेस्टिंग हेतु कम से कम 02 प्रयोगशालाएं होनी चाहिए जिसमें टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था हो। प्रयोगशाला उपलब्ध न होने की दशा में यदि कार्यदायी संस्था की क्षमता में वृद्धि की जाती है तो 02 वर्ष के भीतर प्रयोगशाला स्थापित करनी होगी।

(वी0के0एल0 श्रीवास्तव)
विशेष सचिव वित्त